सं0– 435 /उन्तीस(2)/11–2(33पे0)/2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2011**

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं हेतु अनुदानान्तर्गत वित्तीय/प्रशासकीय/व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1400/नगरीयः अनुभाग/176 दिनांक 24.06.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद पौडी की नानघाट पम्पिंग पेयजल योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0लागत 7980.75 लाख पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 7128.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही योजना के निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनान्तर्गत ₹ 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि संगत मद से एंव ₹1000.00 (रू0 दस करोड) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण शीर्षक से पुर्नविनियोग के माध्यम से अर्थात कुल ₹ 1150.00 लाख (ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित पी0एल0ए0 में रखी जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी। पी0एल0ए0 से वास्तविक आवश्यकतानुसारा धनराशि किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का इसी वित्तीय पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। SITC उपकरण की खरीद हेतु Estimated cost ₹ 315.17 लाख का व्यय प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2008 के अनुसार price discovery के आधार पर किया जायेगा।

3– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार संक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी

कृपया ?

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

12– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

13– स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय। समस्त कार्य अधिप्राप्ति नियमावली के सुंसगत प्राविधानों के अनुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सम्पादित किये जायें।

14– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

15– **उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–05– नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।**

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 991/XXVII(2)/2009, दिनांक 26 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0 435(1)/उन्तीस(2)/11–2(33पे0)/2010तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3–निजी सचिव–सचिव पेयजल को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
6–जिलाधिकारी, पौड़ी।
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11–अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
12–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

बी0एम0–15 पुर्नविनियोग–2010–11

आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी:–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
प्रशासनिक विभाग:– पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

(रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशैष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलापूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई			(क) मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग न होनें के कारण (ख) मद में समुचित धनराशि प्राविधानित न होनें के कारण।
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				01–जलपूर्ति–आयोजनागत			
101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 01– नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण				05–नगरीय पेयजल 01– नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान			
20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 100000	–	–	100000(क)	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 100000(ख)	210000	–	
योग:– 100000	–	–	100000	100000	210000	–	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नही होता है ।

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या:991 (क) XXVII-(2) /2011
देहरादून : दिनांक: 24 मार्च 2011

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव वित्त

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड।

संख्या 1435 (क)/उन्तीस/11–2–(33पे0)/2010, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–निदेशक कोषागार । 2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
3– वित्त अनुभाग–2
4–जिलाधिकारी, देहरादून।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव